

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/सेनि0/2023/960 दिनांक : 14/9/23

आदेश

श्री अब्दुल गफ्फार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर जिनकी जन्म तिथि 09.09.1963 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2023 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अब्दुल गफ्फार, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/सेनि0/2023/960
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजकर लेख है कि भविष्य में सेवानिवृत्ति प्रस्ताव एक वर्ष पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। ताकि पेंशन प्रकरण का समय पर निस्तारण हो सके।
3. कार्यालय, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. श्री श्री अब्दुल गफ्फार, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

दिनांक : 14/9/23

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर